::: कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द :::

कमांक– 02 दिनांक : 18.07.2025

–: विज्ञप्ति नीलामी अनुपयोगी सामान :–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमन्द में दिनांक 06.08.2025 को प्रातः 12 बजे निम्नलिखित अनुपयोगी/नकारा अलमारिया, रैक्स, टेबल्स, कुर्सियां, कूलर इत्यादि की गठित कमेटी द्वारा सार्वजनिक नीलामी की जानी है। नीलामी "जहां है जैसा है" की स्थिति में की जाएगी। नीलामी कार्यालय प्रांगण में दिनांक 06.08.2025 को प्रातः 12 बजे की जायेगी। धरोहर राशि रूपये 16000/– दिनांक 06.08.2025 सुबह 11.00 से 12.00 बजे तक जमा की जायेगी। सभी नकारा सामान का अवलोकन कार्यालय समय में किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता 16,000/– रूपये नकद एवं पेन कार्ड, जी.एस.टी. आधार की फोटो प्रति नीलामी के दिवस को कार्यालय में जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी शर्तें जिला एवं सेशन न्यायालय राजसमन्द की वेबसाईट पर https://rajsamand.dcourts.gov.in/ उपलब्ध है या कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है। नीलामी में भाग लेने वाली फर्म/व्यक्ति संस्था का जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

क.सं.	सामान का विवरण	क्रय मूल्य (अनुमानित)	Earnest Money
1	अलमारिया, रैक्स एवं लोहे/लकड़ी के अनुपयोगी फर्नीचर आईटम्स	8,00,000/–	16,000/–

–sd–
अध्यक्ष
अनुपयोगी सामान निस्तारण समिति ,
जिला एवं सेशन न्यायालय,
राजसमन्द

कमांक : भण्डार/2025/22 दिनांक : 18.07.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमंद
2. प्रभारी अधिकारी (लेखाशाखा), जिला न्यायालय, राजसमंद
3. नोटिस बोर्ड.....
4. सिस्टम ऑफिसर, न्यायालय हाजा।

अध्यक्ष
अनुपयोगी सामान निस्तारण समिति ,
जिला एवं सेशन न्यायालय,
राजसमन्द

::: कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द :::

–: नीलामी शर्तें :–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजसमन्द के न्यायक्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों का नकारा सामान जैसे डेजर्ट कूलर, अलमारी, टेबल–कुर्सी इत्यादि व लकड़ी का नकारा सामान जैसे टेबल, स्टूल, कुर्सियां, एवं नकारा सामग्री की (जो जैसी स्थिति में है) नीलाम की जानी है। नीलामी कार्यालय प्रांगण में दिनांक 06.08.2025 को प्रातः 12:00 बजे की जायेगी। सभी नकारा सामान का अवलोकन कार्यालय समय में किया जा सकता है। नीलामी की शर्तों की सूचना कार्यालय समय मे प्राप्त की जा सकती है।

1. नकारा सामान स्टॉक/रिकोर्ड अनुसार लागत के आधार पर नीलामी समिति द्वारा "जहाँ है जैसा है" के आधार पर की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता दिनांक 06.08.2025 को प्रातः 11.00 बजे से 12.00 बजे तक निर्धारित धरोहर राशि 16,000/– (अक्षरे सौलह हजार रूपये) जमा करानी होगी।
2. बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को जी.एस.टी., पेन कार्ड व आधार की प्रति प्रस्तुत करनी होगी, तत्पश्चात् टोकन जारी किया जायेगा। किसी फर्म की तरफ से यदि कोई व्यक्ति उपस्थित होता है तो उस फर्म के लैटर हैड पर बोली लगाने वाले व्यक्ति का ऑथराईजेशन आवश्यक है।
3. अधिकतम बोलीदाता को बोली मूल्य की 25 प्रतिशत राशि तुरंत जमा करवानी होगी। शेष 75 प्रतिशत राशि सामान उठाने से पूर्व जमा करवानी होगी।
4. नीलामी अधिकारी को बिना बताये नीलामी तिथि स्थगित करने का या अन्तिम बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. नीलामी की अन्य शर्तें वक्त नीलामी कमेटी द्वारा बोलकर, पढ़कर अवगत करवा दी जाएगी।
6. नीलामी योग्य सामान की मात्र बढाई–घटाई जा सकती है।
7. नीलामी की तिथि को अवकाश होने पर नीलामी आगामी कार्यदिवस को सम्पन्न होगी।
8. बोली उपरान्त सफल बोलीदाता को सामग्री 04 दिवस में कार्यालय परिसर से अपने स्वयं के खर्चे/स्तर पर उठवाना अवाश्यक है अन्यथा जमा 25 प्रतिशत राशि जब्त मानी जाएगी।
9. बोली में असफल रहे बोलीदाताओं को जमा धरोहर राशि मौके पर ही लौटा दी जाएगी।
10. नीलामी की अधिकतम बोली देने वाले के नाम, नीलामी समाप्त करना या नहीं करना अधोहस्ताक्षरकर्ता के अधीन है।
11. जिन व्यक्तियों की बोली स्वीकार नहीं होगी उनके द्वारा जमा राशि 16,000/– रूपये की धरोहर राशि नीलामी समाप्ति के तुरन्त पश्चात् लौटा दी जाएगी।
12. नीलामी बोली लगाने के पश्चात् सामान का उचित मूल्य नहीं मिलने पर नीलामी निरस्त करने का पूर्ण अधिकरी नीलामी अधिकारी को होगा।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
14. स्वीकृत दर/राशि पर बोलीदाता को जीएसटी व अन्य देय कर पृथक से जमा करवाने होंगे व इसकी रसीद प्रस्तुत करनी होगी जिसकी जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होंगी व रसीद जमा करवाने के पश्चात् ही नीलामी योग्य सामान उठवाया जाएगा।
15. नीलामी संबंधित पूर्ण अधिकार नीलामी समिति में निहित है। समिति का निर्णय सर्वमान्य व अंतिम होगा।

अध्यक्ष
अनुपयोगी सामान निस्तारण समिति ,
जिला एवं सेशन न्यायालय,
राजसमन्द